रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25042025-262691
CG-DL-E-25042025-262691

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1829] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 25, 2025/वैशाख 5, 1947
No. 1829] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 25, 2025/VAISAKHA 5, 1947

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2025

का.आ. 1862(अ).— जबकि मेसर्स चिनाब वैली पॉवर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (सीवीपीपीएल) (पूर्व में चिनाब वैली पॉवर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड था), जिसका पंजीकृत पता चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हैड परिसर, जम्मू -180012, जम्मू व कश्मीर, भारत में है, ने ट्रांसमिशन योजना "जम्मू व कश्मीर (यूटी) के किश्तवाड़ जिले में 624 मेगावाट की किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली" के तहत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र संख्या 25-17/85/2024-पीजी दिनांक 04.09.2024 के अनुसार विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68(1) के तहत ट्रांसमिशन योजना "जम्मू व कश्मीर (यूटी) के किश्तवाड़ जिले में 624 मेगावाट की किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली" के अंतर्गत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन हेतु पूर्व स्वीकृति प्रदान की थी।

मेसर्स चिनाब वैली पॉवर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने स्थानीय समाचार पत्रों अमर उजाला (हिंदी में) दिनांक 14.11.2024, दैनिक जागरण (हिंदी में) दिनांक 14.11.2024, डेली एक्सेलसियर (अंग्रेजी में) दिनांक 14.11.2024, स्टेट टाइम्स (अंग्रेजी में) दिनांक 14.11.2024, कश्मीर उज़्मा (उर्दू में) दिनांक 14.11.2024, उड़ान (उर्दू में) दिनांक 14.11.2024 एवं भारत के साप्ताहिक राजपत्र दिनांक 30.11.2024 में ट्रांसमिशन योजना के लिए प्रस्तावित ट्रांसमिशन मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से दो महीने के भीतर आम जनता की टिप्पणियों / अभ्यावेदन देने करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। तत्पश्चात, मेसर्स चिनाब वैली पॉवर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने दिनांक 19.03.2025 को एक हलफनामा प्रस्तुत किया था, जिसमें घोषणा की गई है कि समाचार पत्र/भारत सरकार के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो महीने के भीतर कोई टिप्पणी/अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुई है।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत "जम्मू व कश्मीर (यूटी) के किश्तवाड़ जिले में 624 मेगावाट की किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली" ट्रांसमिशन योजना के तहत विद्युत लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित या अनुरक्षित किए गए टेलीग्राफ लाइन एवं खंभे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किए जाने हेतु, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित ओवरहेड लाइनें शामिल हैं:

1. किरु जल विद्युत परियोजना-पकल दुल जनरेशन स्विचयार्ड 400 केवी डी/सी (ट्रिपल एचटीएलएस)।
2. किरु जल विद्युत परियोजना-पकल दुल 400 केवी डी/सी (ट्रिपल एचटीएलएस) के एक सर्किट को पकल दुल में बाईपास करना और इसे पकल दुल - किश्तवाड़ 400 केवी डी/सी लाइन (ट्रिपल एचटीएलएस) के एक सर्किट से जोड़ना, इस प्रकार 400 केवी किश्तवाड़-किरु जल विद्युत परियोजना (ट्रिपल एचटीएलएस) सीधी लाइन (एक सर्किट) बनाना।

उपरोक्त योजना के अंतर्गत कवर की गई ट्रांसमिशन लाइनें जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के निम्नलिखित गांवों, कस्बों और शहरों से होकर, ऊपर, आसपास और बीच से गुजरेंगी:

गांव	**तहसील**	**ज़िला**
क्वार, तामरूचि, दुल (ढुल), क्वारतानजी	किश्तवाड़	किश्तवाड़
सालमहिट्टू, पत्थर नक्की, कुरु (किरु), लोस्रा, गलहार, चिंगना (चिंगनाना), थंडार, अमरदाना, प्राच्छी, चंदना, भागना, बड्डु, बरयार्ना (पड़यार्ना), ओहाली, चिरल, रशगवार, दारला, भाटान, नूस, क्वार, दछ्ला (दिचला), गलहार भाटा, धराबी	नागसेनी	

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत मेसर्स चिनाब वैली पॉवर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को उपरोक्त ओवरहेड लाइन बिछाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधन और शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किए गए टेलीग्राफ लाइन एवं खंभों या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किए जाने हेतु टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं:

i. यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।

ii. आवेदक को प्रस्तावित लाइन की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति लेनी होगी।

iii. आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए पारेषण, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।

iv. आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइन का संचालन करेगा।

v. यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।

vi. मेसर्स चिनाब वैली पॉवर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

vii. यदि उपरोक्त, ओवरहेड लाइनों का मार्ग (या उपरोक्त ओवरहेड लाइन के मार्ग का कुछ हिस्सा) ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) क्षेत्र में आता है, तो आवेदक को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) मामले के संबंध में 2019 की याचिका संख्या 838 पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित तकनीकी/विशेषज्ञ समिति के निर्देशों का पालन करना होगा।

[फा. सं. 25-16/29/2025-पीजी]

एम.वी.एन. वरा प्रसाद, अवर सचिव (पीजी)

MINISTRY OF POWER

ORDER

New Delhi, the 21st April, 2025

S.O. 1862(E).— Whereas M/s Chenab Valley Power Projects Limited (CVPPL) (formerly Chenab Valley Power Projects Private Limited), the applicant with its Registered Office at Chenab Jal Shakti Bhavan, Opposite Saraswati Dham, Rail Head Complex, Jammu-180012, J&K, India, has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line under the transmission scheme "connectivity to M/s Chenab Valley Power Projects Limited for its 624 MW Kiru Hydro Electric Project in Kishtwar District of J&K (UT)".

And whereas, Ministry of Power, Government of India vide its letter no. 25-17/85/2024-PG dated 04.09.2024 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 to M/s Chenab Valley Power Projects Limited for the overhead line covered under the transmission scheme "connectivity to M/s Chenab Valley Power Projects Limited for its 624 MW Kiru Hydro Electric Project in Kishtwar District of J&K (UT)".

M/s Chenab Valley Power Projects Limited has published notice for transmission scheme in local newspapers Amar Ujala (Hindi) dated 14.11.2024, Dainik Jagran (Hindi) dated 14.11.2024, Daily Excelsior (English) dated 14.11.2024, State Times (English) dated 14.11.2024, Kashmir Uzma (Urdu) dated 14.11.2024, Udaan (Urdu) dated 14.11.2024 and in Weekly Gazette of India dated 30.11.2024 for the public to make observations/representations on the proposed transmission route within two months from the date of publication. Subsequently, M/s Chenab Valley Power Projects Limited has submitted an affidavit dated 19.03.2025 declaring that no objection, observation/representation was received within two months from the date of publication in the official gazette of Government of India.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme "connectivity to M/s Chenab Valley Power Projects Limited for its 624 MW Kiru Hydro Electric Project in Kishtwar District of J&K (UT)". The following overhead line is covered under this transmission scheme:

1. Kiru HEP - Pakaldul generation switchyard 400 kV D/c line (Triple HTLS)
2. Bypassing of one circuit of Kiru - Pakaldul 400 kV D/c line (Triple HTLS) at Pakaldul and connecting it with one of the circuit of Pakaldul - Kishtwar 400 kV D/c line (Triple HTLS), thus forming 400 kV Kishtwar - Kiru (Triple HTLS) direct line (one ckt)

The transmission line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities of UT of Jammu and Kashmir:

Villages	Tehsil	District
Kowar, Tamruche, Dul (Dool), Kwartanji	Kishtwar	Kishtwar
Salamhittu, Pathar Nikki, Kuru (Kiru), Losna, Galhar, Chingana (Chingnana), Thandar, Amardana, Prachchhi, Chandna, Bhagna, Badd, Baryarna (Padhyarna), Ohali, Chirale, Rashgwar, Darla, Bhatan, Nus, Kwar, Dachhla (Dichla), Galhar Bhata, Dharbi	Nagseni	

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s Chenab Valley Power Projects Limited for laying above overhead line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned line, namely:

i. The approval is granted for 25 years.

ii. The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.

iii. The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.

iv. The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.

v. The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.

vi. M/s Chenab Valley Power Projects Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.

vii. In case, the route of above overhead lines (or some portion of the route of above overhead line) falls in the Great Indian Bustard (GIB) area, the applicant has to comply with the orders of the Hon'ble Supreme Court in the petition No.838 of 2019 regarding Great Indian Bustard (GIB) case, and the directions of the technical/expert committee constituted by the Hon'ble Supreme Court in this regard.

[F. No. 25-16/29/2025-PG]

M.V.N. VARA PRASAD, Under Secy. (PG)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.04.25 22:45:36 +05'30'